झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 01.08.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	इस राज्य में **पिछड़ों की आबादी औसतन 50-60% है और नौकरियों में सरकारी सेवाओं में आरक्षण मात्र 14% है।** जिला कोटि की सेवाओं में **नौ जिलों में शून्य है,** इस कारण पिछड़ा समुदाय वर्षो से अपने हक और अधिकार से वंचित है, इसकी **आरक्षण की सीमा 27%** तक की जाय। साथ ही सभी जाति समुदाय के लोगों को अवसर प्राप्त हो इस हेतु **राज्य में जाति आधारित जनगणना करायी जाय।** उपरोक्त महत्त्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ताकि सभी समुदायों को सेवाओं में समान अवसर प्राप्त हो।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**
02-	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0 श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0 श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के प्राथमिक, मध्य व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, परन्तु शिक्षकों को अन्य राज्यकर्मी की तरह 10 वर्ष 20 वर्ष व 30 वर्षो की सेवा के उपरान्त MACPS, 2010 की सुविधा से वंचित रखा गया है।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

01.	02.	03.	04.
		उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य की नियमावली, 6022/89 तथा वर्ष 1993 के आधार पर अभी भी राज्य के शिक्षकों को 12 एवं 24 वर्षो पर वरीय वेतनमान देने का प्रावधान किया गया है। विदित हो कि बिहार में उक्त नियमावली को निरस्त करते हुए संकल्प संख्या-554, दिनांक- 06.03.2019 एवं 1071, दिनांक- 07.10.2021 द्वारा सभी शिक्षकों को अन्य राज्यकर्मी के समान ही 10 वर्ष 20 वर्ष व 30 वर्षो की सेवा के उपरान्त **MACPS**, 2010 देने का प्रावधान किया गया है। चूँकि उक्त नियमावली 6022/89 स्वायत्तशासी हेतु है। बिहार की नियमावली बिहार में निरस्त हो चुकी है और उसी को आधार बनाकर झारखण्ड के शिक्षकों को **MACPS**, 2010 के लाभ से वंचित किया जा रहा है। अतः झारखण्ड राज्य में कार्यरत अन्य राज्यकर्मी की तरह विद्यालय के शिक्षकों को भी **MACPS**, 2010 का लाभ 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षो पर देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	**डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0**	गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद प्रखंड में 25 पंचायत है। इसी प्रखंड में डाकबंगला एवं महेशमुण्डा चौक तक तथा खंडोली डैम के पास तक काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। विदित् है कि खंडोली डैम के पास काफी संख्या में सैलानियों का आवागमन होता रहता है जहाँ क्राईम बढ़ने की संभावना प्रायः बनी रहती है। ज्ञात हुआ है कि कभी-कभी बेंगाबाद थाना को भी विधि-व्यवस्था संभालने में काफी परेशानी होती है। अतः वर्णित परिस्थिति में डाकबंगला से महेशमुंडा चौक तथा खंडोली डैम के पास आरक्षी चौकी (T.O.P) खोलने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	**गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन**

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	झारखण्ड राज्य अन्तर्गत बेरमो अनुमंडल (मुख्यालय तेनुघाट) राज्य का सबसे पुराना अनुमंडल है। वर्ष 1971 में जिला गिरिडीह से अलग होकर बेरमो अनुमंडल के रूप में अस्तिव में आया बेरमों अनुमंडल हर दृष्टिकोण से जिला बनने की सभी आहर्ता रखता है इसमें कुल प्रखंडों की संख्या-7 कुल थानों की संख्या-15 है तथा 6 ओ0पी0 एवं व्यवहार न्यायालय भी है। इसकी कुल जनसंख्या-2011 के जनगणना के अनुसार लगभग- 11 लाख 08 हजार 735 हैं तथा इससे कम जनसंख्या- तथा प्रखण्ड वाले अनुमंडल भी जिला बन चुका है किन्तु बेरमों अनुमंडल के जिला नहीं बनने से लाखों व्यक्तियों को प्रशासनिक, राजस्व एवं विकास संबंधी कार्यो में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से बेरमो अनुमंडल (मुख्यालय-तेनुघाट) को जिला बनाने की माँग करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
05-	श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	कोडरमा जिला के चन्दवारा प्रखण्ड के चन्दवारा पंचायत के ग्राम चन्दवारा में खाता सं0-175, प्लॉट सं0-6969 थाना नं0-276 (लगभग 5 एकड़) जमीन का प्रकार गैरमजरूआ है। इस गैरमजरूआ जमीन को चन्दवारा निवासी 1- महानन्द मोदी, 2- किशुन मोदी, 3- राम सहाय मोदी, 4- वासुदेव मोदी, 5- रघु मोदी को बाबु बिरेन्द्र नारायण घोष को बिल्डिंग लीज दिया गया। इन लोगों के द्वारा रैयती मान्यता हेतु अंचलाधिकारी चन्दवारा से मांग किया गया था। मांग के विरोध में अंचलाधिकारी चन्दवारा ने भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड अधिनियम-1950 की धारा-4H के तहत रद्द करने की अनुशंसा दिनांक- 25.06.2018 को की गई है तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अनुमण्डल पदाधिकारी कोडरमा के द्वारा 26.06.2018	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		को रद्द करने की अनुशंसा अपर समाहर्ता कोडरमा को भेजा गया। अपर समाहर्ता कोडरमा के द्वारा 05.10.2018 को कोडरमा तत्कालीन उपायुक्त को भेजा गया। तत्कालीन उपायुक्त कोडरमा के द्वारा 25.09.2022 को जमाबंदी अस्वीकार करते हुए पुनः अंचलाधिकारी को पुनः जमाबंदी रद्द अथवा नियमित करने के संदर्भ में विभागीय अंचलाधिकारी को अभिलेख खोलकर पुनः समीक्षा करने का आदेश करते हैं, जो मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक– सं0–29/2 दिनांक– 19.10.2020 के विरूद्ध है। अतः उपरोक्त महत्त्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक– 01 अगस्त, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–45/2023–2039/वि0 स0, राँची, दिनांक– 31/07/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–45/2023–2039/वि0 स0, राँची, दिनांक– 31/07/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

31.07.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

31.07.2023